

—:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::—

बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मिसल न0 135 / 2022

बउनवान

शारदाबाई पत्नी महावीर जाति मीना निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा
राजस्थान। — वादीनी—

बनाम

1. महावीर पुत्र राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
— प्रतिवादीगण—

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर टी एक्ट

उपस्थिति:—

वादीनी की ओर से :— श्री दशरथ सिंह एडवोकेट

प्रतिवादीन01की ओर से :— श्री धर्मराज नायक एडवोकेट

प्रतिवादीन02 की ओर से :— पैरोकार सरकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक:— 28/12/2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि वादीनी द्वारा इस न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया, कि वादीनी द्वारा जयें विक्रय विलेख दिनांक 28.4.2016 कमांक 2016000482 के द्वारा तत्कालीन खातेदार विक्रेता राधेश्याम पुत्र सुखदेव जाति मीना निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद से उसके खाते व कब्जे काशत की आराजी माल ग्राम घटाल पटवार हल्का मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स0 नई 66 के खसरा न0 50 की 0.05हेक्टर, खसरा न0 66 की 0.17 हेक्टर, खसरा न0 67 की 0.26हेक्टर, खसरा न0 195/570 की 0.65 हेक्टर, खसरा न0 264 की 0.36हेक्टर, खसरा न0 265 की 0.38हेक्टर, खसरा न0 474 की 0.01हेक्टर, खसरा न0 475 की 3.80हेक्टर, खसरा न0 476 की 1.89 हेक्टर, कुल 9 किता की कुल 7.57हेक्टर आराजी मे निहित 1/6हिस्से का 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी का 1/12 हिस्सा आराजी कय की थी, जिसका विक्रय विलेख उपपंजीयन कार्यालय सांगोद मे उपस्थित होकर तत्कालीन खातेदार स्व0 राधेश्याम प्रतिवादीन01 के पिता द्वारा पंजीयन करवा दिया है, और विक्रीत हिस्सा आराजी का कब्जा मौके पर जाकर मौके पर जाकर केता को उसी समय भली प्रकार संभला गया है, जिस पर वक्त खरीद से वादीनी आज दिन तक काबिज काशत है। उक्त वर्णित आराजीयात विक्रय विलेख पंजीयन करवाते समय यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा दरा के रहन दर्ज थी, जिस

2....

उपजिला कलेक्टर
सांगोद, जिला- कोटा

कारण से वादीनी के हक में विक्रय विलेख के आधार पर इन्तकाल नहीं खुल सका, इसी दौरान तत्कालीन खातेदार प्रतिवादीन01 के पिता राधेश्याम जी का स्वर्गवास दिनांक 19.1.2019 को हो गया। जिसके बाद प्रतिवादीन01 द्वारा उक्त आराजी में फौती इन्तकाल स0 291 दिनांक 6.5.2019 खुलवा लिया गया, जिसके आधार पर उक्त आराजी प्रतिवादी न01 के खाते दर्ज हो गई। वादीनी को उक्त आराजी रहन मुक्त होने के बाद आराजी का इन्तकाल खुलवाने हेतु पटवारी हल्का महोदय से अनुरोध किया, तो उक्त आराजी प्रतिवादी न01 के खाते दर्ज हो जाने से इन्तकाल खोलने से मना कर दिया, तथा पटवारी हल्का महोदय द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहकर इन्तकाल खोलने से मना कर देने से वादीनी के लिए उक्त इन्तकाल न0 291 को विक्रय विलेख के आधार पर शून्य प्रभावी घोषित करवाने व विक्रीत आराजी की अपने हक में घोषणा करवाने के लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है, साथ ही उक्त वाद पत्र की मद न01 में वर्णित आराजी की दो जमाबन्दी बनने की जानकारी भी प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्तमान नकल जमाबन्दी का विवरण

अ. माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
घटाल	नई 65	265	0.38हेक्टर
		474	0.01हेक्टर
		475	3.80हेक्टर
		476	1.89हेक्टर
		50	0.05हेक्टर
		66	0.17हेक्टर

कुल 6 किता की 6.30हेक्टर में प्रतिवादीन01 का 4/63हिस्सा

ब. माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
घटाल	64नई	195/570	0.65हेक्टर
		264	0.36हेक्टर
		67	0.26हेक्टर

कुल 3 किता की 1.27हेक्टर में प्रतिवादीन01 का 1/6हिस्सा

तथा वाद कारण उक्त आराजी रहन मुक्त होने के बाद आराजी का इन्तकाल खुलवाने हेतु पटवारी हल्का महोदय से अनुरोध करने पर उक्त आराजी प्रतिवादी न01 के खाते दर्ज हो जाने से इन्तकाल खोलने से मना करने व माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने से वादीनी द्वारा माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई, तथा प्रतिवादी न01 की ओर से वकील श्री धर्मराज नायक द्वारा वादीनी के वाद का समर्थन करते हुए अपनी ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया। तथा वादीनी का वाद स्वीकार कर डिकी किये जाने की प्रार्थना की। और प्रतिवादी न02 पैरोकार सरकार वावजूद सूचना कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रतिवादीन02 का जवाब बन्द किया गया। तथा पत्रावली मे बहस वादी प्रस्तुत की गई, जिसमे वादी के वकील द्वारा बहस मे वाद के बिन्दुओ को दौहराया गया, तथा जिसके बाद पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेज व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर हम वादीनी के वाद को स्वीकार किये जाने योग्य मानते है, जिससे वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीनी द्वारा जयें विक्रय विलेख दिनांक 28.4.2016 क्रमांक 2016000482 के द्वारा तत्कालीन खातेदार विक्रेता राधेश्याम पुत्र सुखदेव जाति मीना निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद के आधार पर प्रतिवादी न01 महावीर के खाते व कब्जे काशत की आराजी माल ग्राम घटाल पटवार हल्का मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स0 नई 65 के खसरा न0 265, 474, 475, 476, 50,66 कुल 6 किता की 6.30हेक्टर मे प्रतिवादीन01 का 4/63हिस्सा व खाता स0 नई 64 के खसरा न0 195/570, 264,67 कुल 3 किता की 1.27हेक्टर मे प्रतिवादीन01 का 1/6हिस्से की आराजी का वादीनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किये जाने के आदेश दिये जाते है, नियमानुसार डिकी पर्चा प्रथक से जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला एसोद
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक ११/१२/२०२२को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला एसोद
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इयादाई
आर. रुल्स 6-7 जाब्जा दीवानी

निर्णय बईजलास श्री राजेश डागा(आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
मिसाल न0135/2022 तारीख दायरा:- 10.11.2022

वउनवान

शारदाबाई पत्नी महावीर जाति मीना निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा
राजरथान। - वादीनी-

वनाम

1. महावीर पुत्र राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम घटाल तहसील सांगोद जिला कोटा
राजरथान।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजरथान।
- प्रतिवादीगण-

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर टी एक्ट

दिनांक:- 28/12/2022

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री राजेश डागा(आर ए एस) व हाजरी
श्री दशरथ सिंह एडवोकेट वादीनी, एवं श्री धर्मराज नायक अधिवक्ता प्रतिवादी न01 मिन
जानिव मुद्दई रुयरु श्रीमिन मुद्दायल पेश होकर आदेश दिया
जाता है कि:- वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाकर
आदेश दिया जाता है कि वादीनी द्वारा जयें विक्रय विलेख दिनांक 28.4.2016 कमांक2016000482
के द्वारा तत्कालीन खातेदार विक्रेता राधेश्याम पुत्र सुखदेव जाति मीना निवासी ग्राम घटाल
तहसील सांगोद के आधार पर प्रतिवादी न01 महावीर के खाते व कब्जे काश्त की आराजी
माल ग्राम घटाल पटवार हल्का मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता स0 नई
65 के खसरा न0 265, 474, 475, 476, 50,66 कुल 6 कित्ता की 6.30हेक्टर मे प्रतिवादीन01
का 4/63हिस्सा व खाता स0 नई 64 के खसरा न0 195/570, 264,67 कुल 3 कित्ता की
1.27हेक्टर मे प्रतिवादीन01 का 1/6हिस्से की आराजी का वादीनी को खातेदार कृषक
घोषित किया जाता है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर राजस्व
रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किये जाने के आदेश दिये जाते
है।

उपरवादा मजिस्ट्रेट
(राजेश डागा)
सांगोद, जिला- कोटा
आर. ए. एस.

उपखण्ड अधिकारी सांगोद